वैश्वीकरण का राज्य एवं भारतीय लोक प्रशासन पर प्रभाव

उमेश कुमार

Ikjk'k *वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण की संकल्पना निजीकरण तथा उदारीकरण से निकटता के साथ जुड़ी हैं। निजीकरण वैसी आर्थिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत निवेश की खुली छूट होती है; व्यक्ति अपनी इच्छा से अधिक-से-अधिक निवेश कर अधिक-से-अधिक उत्पादन करके लाभ को प्राप्त कर सकता है।[1] निजीकरण के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व को समाप्त किया जाता है तथा निजी स्वामित्व का विस्तार होता है; उत्पादन प्रणाली पर सरकार का नियन्त्रण नहीं होता अथवा यदि होता है तो उसे शिथिल किया जाता है।[2] निजीकरण की इस प्रक्रिया से उदारीकरण का जन्म होता है, जिसके अन्तर्गत मानवीय जीवन के सभी आयाम प्रभावित होते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में खुलापन आता है; आर्थिक जीवन में अधिक-से-अधिक निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है तथा राजनीतिक जीवन में सरकार व राज्य की भूमिका में कमी आती है; सरकार का कार्य व दायित्व केवल कानून और व्यवस्था की स्थापना से सम्बन्धित हो जाता है। निजीकरण और उदारीकरण का प्रचार-प्रसार व प्रभाव जब सम्पूर्ण दुनिया की व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है तो उसे ही वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण कहते हैं।*

प्रस्तावना

वर्तमान समाज में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को सामान्य रूप में स्वीकार किया जाता है तथा यह भूमिका राज्य के कार्यों के साथ-साथ और अधिक व्यापक एवं महत्वपूर्ण होती जा रही है। 19वीं सदी की 'अहस्तक्षेप राज्य', 20वीं सदी में 'लोक कल्याणकारी राज्यों के रूप में प्रस्तुत हो गई तथा मानवीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से इसका सम्बन्ध हो गया। राज्य के कार्य-क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ स्वाभाविक रूप से लोक-प्रशासन का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया। लोक प्रशासन के कार्य-क्षेत्रों का

विस्तार एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति है जो विकासशील, विकसित तथा अविकसित देशों में भी दृष्टिगोचर होती रही है।[3]

लोक-प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को सर्वव्यापी रूप में स्वीकार करने के बावजूद भिन्न-भिन्न आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था वाले देशों में लोक प्रशासन की भूमिका में भी अन्तर दृष्टिगोचर होता है। विकासशील देशों में जो भूमिका लोक प्रशासन को निभानी पड़ती है, वह पश्चिमी देशों में लोक प्रशासन के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका से अधिक महत्वपूर्ण, जटिल और चुनौतियों से परिपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण ने विकासशील देशों के समक्ष कुछ विशेष नवीन चुनौतियों को खड़ा कर दिया है।

विकासशील देशों की समस्याएँ विकसित देशों की समस्याओं से भिन्न है। लगभग सभी विकासशील देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवादी शक्तियों से मुक्त हुए हैं, जिन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों की व्यापक समस्याओं को दूर करना है तथा समाज व राष्ट्र–निर्माण के दिशा में उन्हें बहुत आगे जाना है। इन देशों में लोक प्रशासन को विकास प्रशासन के साथ-साथ नियामकीय प्रशासन की दोहरी भूमिका निभानी होती है।

वैश्वीकरण एक व्यापक प्रक्रिया व व्यवस्था है, जिसकी शुरूआत व प्रसार निजीकरण सह उदारीकरण से हुआ है तथा इसने मानवीय जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि इससे राज्य भी प्रभावित होगा।

वर्तमान विश्व में वैश्वीकरण को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया व व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। वस्तुतः निजीकरण एवं उदारीकरण के व्यापक अथवा विश्व व्यापक स्वरूप को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। उदारीकरण की शुरूआत निजीकरण से होती है, जिसे बहुत हद तक एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है। निजीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों पर वर्ग-विशेष और व्यक्ति-विशेष को स्वामित्व प्रदान कर दिया जाता है। जिसके पास जितनी सम्पत्ति होती है, वह उतना निवेश कर अधिक-से-अधिक मुनाफा अर्जित कर सकता है। निजीकरण के अन्तर्गत लाइसेन्स व नियन्त्रण जैसी प्रक्रियाओं को समाप्त या पूर्णतः शिथिल कर दिया जाता है। निजीकरण रूपी आर्थिक प्रक्रिया से जब मानव-जीवन के सम्पूर्ण आयाम नकारात्मक-सकारात्मक अथवा दोनों रूपों में प्रभावित होने लगता है, तब उसे उदारीकरण कहा जाता है। निजीकरण एवं उदारीकरण का विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार व प्रभाव ही वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण है।

वैश्वीकरण के सन्दर्भ में राज्य की संरचना एवं कार्य में व्यापक परिवर्तन आया है, जो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता हैः–

1. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आया है। राज्य को लोक-कल्याणकारी राज्य के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसकी

भूमिका उसके नाम के अनुरूप था। वैश्वीकरण के आगमन ने राज्य की भूमिका को व्यापक रूप में प्रभावित किया है। अब राज्य ने अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के सम्पादन में कमी लानी शुरू कर दी है। दूसरे शब्दों में, वैश्वीकरण के सन्दर्भ में राज्य की भूमिका लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में कम, सीमित व व्यक्तिवादी राज्य के रूप में अधिकाधिक दृष्टिगोचर हो रही है।

2. वैश्वीकरण के सन्दर्भ में राज्य बाजार-व्यवस्था के अनुरूप कार्य कर रहा है। कहना न होगा कि राज्य का झुकाव नवीन लोक प्रबन्ध की ओर हो चुका है। राज्य के द्वारा नवीन लोक प्रशासन के सिद्धान्तों मसलन सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक न्याय पर बल, ग्राहक केन्द्रित कार्यों को प्राथमिकता, मूल्य-सापेक्ष नीति-निर्धारण को बढ़ावा, उत्पादकता व प्रभावशीलता को केन्द्र में रखकर कार्यों के सम्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। परन्तु अब राज्य विनौकरशाहीकरण, निजीकरण, पुनः चक्रीकरण तथा अधिकाधिक तकनीकीकरण को महत्वपूर्ण मान रहा है। स्पष्टतः वैश्वीकरण के सन्दर्भ में राज्य की भूमिका नवीन लोक प्रशासन से आगे बढ़कर नवीन लोक प्रबन्ध सदृश बन गई है।
3. वैश्वीकरण ने राज्य को अपनी लोक कल्याणकारी भूमिका से हटाकर सीमित व बाजार-उन्मुख भूमिका की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया है। आज राज्य को जन-विरोधी तो नहीं, परन्तु पूँजीवादी समाज का हितैषी जरूर कहा जा रहा है। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि वर्तमान राज्य तथा निजी प्रशासन के बीच अधिक समीपता व समानता है। राज्य के द्वारा निजी प्रशासन के समान बाजार के नियमों को स्वीकार किया जा रहा है, जिससे राज्य बनाम बाजार परिचर्चा को बल मिला है अथवा शासन के पुनर्खोज सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है। अब राज्य के सन्दर्भ में गेबलर व ऑसबोर्न की बात अधिक सटीक प्रतीत हो रही है।
4. वैश्वीकरण के सन्दर्भ में राज्य बाजार-उन्मुख, प्रबन्ध-उन्मुख तथा प्रभाव उत्पादकता-उन्मुख हुआ है। इसे निजी क्षेत्र का हितैषी, सहयोगी व प्रोत्साहक बताया जा रहा है। इसके बाद भी यह कहना सम्पूर्ण रूप से सही प्रतीत नहीं होता है कि राज्य की भूमिका बिल्कुल निजी प्रशासन के समान बन गई है। वास्तविकता तो यह है कि राज्य के द्वारा बाजार एवं समाज के बीच संतुलन की स्थिति को कायम किया जा रहा है। यहाँ यह कहना अधिक औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है कि वैश्वीकरण में राज्य के कार्य एवं भूमिका में कमी जरूर आई है, उसका महत्व पूर्ववत् है।
5. सामान्यतः वैश्वीकरण के सन्दर्भ में राज्य की भूमिका व कार्य को अधिक-से-अधिक नकारात्मक बताया जाता है, परन्तु इसकी भूमिका सकारात्मक भी

है। यदि आज राज्य के कार्य से निजी संगठनों के विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है तो दूसरी ओर साधारण जनता के जीवन-स्तर में भी तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ है। आज राज्य वैश्वीकरण के तकनीकी पक्षों को अपनाकर प्रभावी एवं पारदर्शी प्रशासन को कायम करने में सफल हुआ है। राज्य, नवीन लोक प्रबन्ध की मान्यताओं को स्वीकार करके, उनका समुचित प्रयोग करके गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी जैसी समस्याओं पर यथासंभव सफल हो रहा है। स्पष्टतः वैश्वीकरण ने राज्य की भूमिका को मानव विकास हेतु पारदर्शी प्रशासन-उन्मुख बनाया है।

6. वैश्वीकरण के कारण राज्य संसाधनों का पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय सन्दर्भ में आवश्यकता व अनिवार्यता के अनुरूप प्रयोग कर रहा है। राज्य मानवीय अभिक्षमता के अधिकाधिक विकास पर बल दे रहा है। अब राज्य को निजी प्रशासन के सफल व उत्पादकता वृद्धि सम्बद्ध नियमों को स्वीकार करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है। वैश्वीकरण के सन्दर्भ में राज्य ने अपनी भूमिका को सेवा व लाभ के सिद्धान्तों पर आधारित कर दिया है।

निष्कर्षतः वैश्वीकरण के सन्दर्भ में राज्य के द्वारा अपनी लोक कल्याणकारी भूमिका को सीमित किया जा रहा है; सब्सिडी समाप्त की जा रही है; अब राज्य पूर्व की भाँति गरीबों का हितैषी नहीं रहा। अब तो राज्य की भूमिका बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सदृश हो गयी है; राज्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सहयोगी कम, एजेन्ट अधिक बन गई है। राज्य की वर्तमान भूमिका पूर्ववर्ती भूमिका यानी व्यक्तिवादी राज्य की भूमिका की ओर उन्मुख हो गया है। अब राज्य को किसी मार्क्सवादी तलवार से भय नहीं है; वह गरीबों की एकता को तोड़ चुका है तथा उन्हें अपने पक्ष में कर लिया है; राज्य ने अपने सांस्कृतिक हथियार ''अप-संस्कृतिकरण तथा उत्तर आधुनिकतावाद'' से मध्यम वर्ग के 'बौद्धिक प्रभुत्व' को कमजोर कर दिया है।

वैश्वीकरण एक व्यापक प्रक्रिया एवं व्यवस्था है, जिसका जन्म निजीकरण व उदारीकरण के व्यापक प्रचार-प्रसार से हुआ है। वैश्वीकरण की प्रकृति विश्वव्यापी, पूँजीवादी, बाजारीकृत, प्रबन्ध-उन्मुख, प्रतिस्पर्धात्मक तथा तकनीकी है, जिसने मानवीय जीवन के सभी पक्षों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इसलिए लोक प्रशासन पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक एवं अनिवार्य प्रतीत होता है।

लोक प्रशासन पर वैश्वीकरण का प्रभाव (सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव) निम्नलिखित रूप से परिलक्षित होता हैः–

1. वैश्वीकरण के प्रभाव में लोक प्रशासन की परम्परागत मान्यताओं के प्रयोग एवं महत्व में कमी आई है, जबकि नवीन प्रशासनिक मान्यताओं का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है तथा इसके महत्त्व में गुरूत्तर व उत्तरोत्तर रूप में विकास हुआ है। लोक प्रशासन के अन्तर्गत राजनीति तथा प्रशासन का पृथक्करण

विषयक द्विविभाजन सिद्धान्त अब अस्वीकृत कर दिया गया है तथा नवीन लोक प्रशासन की प्रगतिशील मान्यताओं को स्वीकार किया जा रहा है।[4] इतना ही नहीं, वैश्वीकरण ने लोक प्रशासन के अन्तर्गत प्रबन्ध को अधिक महत्त्व प्रदान कर दिया है, तभी तो नवीन लोक प्रबन्ध आज लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बन गया है। लोक विकल्प उपागम तथा नव कौशल परिपेक्ष्य के अध्ययन को भी वैश्वीकरण ने प्रोत्साहित किया है तथा गैर-सरकारी संगठन की भूमिका का अध्ययन भी लोक प्रशासन का विषय बन गया है।

2. वैश्वीकरण के परिपेक्ष्य में लोक प्रशासन के अन्तर्गत न केवल नवीन अवधारणाओं को स्वीकार किया जा रहा है तथा उनके अध्ययन को महत्व प्रदान किया जा रहा है, बल्कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच की दूरियाँ कम हो रही है। अब एपलबी का कहना सही प्रतीत हो रहा है कि भविष्य में लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच असमानताएँ बहुत कम रहेंगी और समानताएँ बहुत अधिक रहेंगी। अब लोक प्रशासन के अन्तर्गत निजी प्रशासन की विशेषताओं को स्वीकार करने में कोई भी हिचक नहीं दिखाई देती है। लोक प्रशासन वैश्वीकरण के प्रभाव में अधिक बाज़ार-उन्मुख हुआ है।

3. लोक प्रशासन में 'लोक' शब्द का औचित्य लोक नीति के निर्धारण एवं क्रियान्वयन को लेकर है। वैश्वीकरण ने लोक नीति-निर्धारण एवं क्रियान्वयन को पूँजीवादी-उदारवादी सन्दर्भ में प्रभावित किया है। अब सरकार लोक नीतियों के निर्धारण में अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड व स्थिति को ध्यान में रखकर कार्य करती है। अब प्रशासन अपने औचित्य व प्रभाव के सन्दर्भ में सेवा की शर्त पर हानि उठाने को तैयार नहीं है। स्पष्टतः लोक नीति के स्वरूप एवं क्रियान्वयन को भी वैश्वीकरण ने प्रभावित किया है।

4. वैश्वीकरण के प्रभाव में लोक प्रशासन के अन्तर्गत कम लागत यानी मितव्ययिता और अधिक उत्पादन, पुनर्चक्रीकरण प्रक्रिया, विनौकरशाहीकरण, नियोजन में कमी लाकर विकास तथा पारदर्शी प्रशासन की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। लोक प्रशासन में उत्पादकता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु वैश्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धान्तों एवं उसकी तकनीकों को अपनाया जा रहा है। इन सबका एक सकारात्मक प्रभाव यह हुआ है कि लोक प्रशासन ने सक्रिय एवं पारदर्शी प्रशासन के रूप में जनता के समक्ष अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है।

5. वैश्वीकरण से समाज में पूँजीवादी हितों को बढ़ावा मिला है। इसका परिणाम सामाजिक-आर्थिक जीवन में असंतुलन तथा सांस्कृतिक प्रदूषण की समस्या है। इसलिए लोक प्रशासन इस दिशा में अधिक जागरूक व सक्रिय हो चला है। आज लोक प्रशासन अपना दायित्व समझता है कि वह समाज में सभी

प्रकार के संतुलन को कायम रखें। स्पष्टतः वैश्वीकरण के प्रभाव में लोक प्रशासन का सामाजिक-आर्थिक संतुलन का दायित्व महत्वपूर्ण हो गया है तथा भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण की दिशा में इसे अधिक सजग रहना पड़ रहा है।

6. वैश्वीकरण का लोक प्रशासन के कार्मिक एवं वित्तीय प्रशासन पर भी प्रभाव पड़ा है। अब तुलनात्मक रूप में वित्तीय प्रशासन को अधिक महत्त्व प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय प्रशासन के अन्तर्गत प्रबन्ध विज्ञान की नवीनतम अवधारणाओं के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संदर्भ में यहाँ पुनः नवीन लोक प्रबन्ध का नाम लिया जा सकता है। वित्तीय प्रशासन के साथ-साथ कार्मिक प्रशासन की प्रकृति एवं संरचना भी लोक हित के सन्दर्भ में वैश्वीकरण से प्रभावित हुई है। आज वैश्वीकरण के सन्दर्भ में भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन एवं अन्य प्रकार की सेवा शर्तों का निर्धारण हो रहा है।

7. विकास प्रशासन की अवधारणा पर भी वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। अब विकास प्रशासन का मूल्यांकन परिवर्तित परिस्थिति में शुरू हो गया है। भारत जैसे देश में प्रशासन विकास की रणनीति के साथ नियामकीय प्रशासन को बनाये रखने पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत में विकास प्रशासन का स्वरूप समाजवादी अधिक तथा उदारवादी कम था, लेकिन वैश्वीकरण के प्रभाव में इसकी समाजवादी प्रकृत्ति में क्षय शुरू हुआ है तथा पूँजीवादी प्रवृत्तियाँ पूर्व की तुलना में बहुत अधिक सशक्त हो रही हैं।

8. वैश्वीकरण की तकनीकी प्रकृति ने लोक प्रशासन में संचार, नेतृत्व, नियन्त्रण के क्षेत्र, प्रदत्त विधायन तथा जन भागीदारी के स्तर को न केवल व्यापक बनाया है, बल्कि उसे त्वरित व प्रभावी बना दिया है। आज लोक प्रशासन को पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाये रखने के लिए सकारात्मक एवं निरोधात्मक दोनों प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं, प्रशासनिक सुधार एक निरोधात्मक प्रयास है, जबकि 'सहभागी प्रबन्ध व्यवस्था' की स्थापना को एक सकारात्मक प्रयास के रूप में लिया जा सकता है।[5] स्पष्टतः वैश्वीकरण ने लोक प्रशासन में जन-सहभागिता को बढ़ावा दिया है तथा इसे सहभागी प्रबन्ध की ओर उन्मुख कर दिया है।

9. वैश्वीकरण से लोक प्रशासन की प्रकृति, संरचना, कार्य तथा सभी कुछ कमोबेश प्रभावित हुआ है। अब टेलर की 'आर्थिक मानव' विषयक अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हो गई है। लोक प्रशासन के अन्तर्गत नीतिशास्त्र के सिद्धान्त सैद्धान्तिक बन गए है, व्यावहारिक रूप में लोक प्रशासन सेवा और लाभ के सिद्धान्त पर कार्य कर रहा है। यही कारण है कि लोक प्रशासन के अध्ययन में पुनः पर्यावरणीय, तुलनात्मक एवं परिस्थितिजन्य

अध्ययन को बढ़ावा मिल रहा है। आज लोक प्रशासन विविध रूप में नवीन अवधारणाओं तथा परिस्थितियों से प्रभावित हो रहा है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण का लोक प्रशासन के विविध आयामों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

भारतीय प्रशासन पर वैश्वीकरण के प्रभाव को निम्नलिखित रूप में रेखांकित किया जा सकता है–

1. भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में नीति-निर्माण तथा लोक नीति की अवधारणा का व्यापक महत्त्व है। चूँकि भारत एक लोकतान्त्रिक देश है, इसलिए नीति-निर्माण में विधायिका की भूमिका सर्वोपरि होती है। प्रत्यायोजित विधायन से यह भी स्पष्ट है कि कार्यपालिका की भूमिका भी नीति-निर्माण व लोक नीति के प्रति महत्वपूर्ण होती है। वैश्वीकरण के प्रभाव में यह अवधारणा व्यापक रूप में प्रभावित हुई है। आज विधायिका और कार्यपालिका ऐसे नीतियों को निर्मित एवं क्रियान्वित कर रही है, जो वैश्वीकरण की सहयोगी प्रकृति की हो। वैश्वीकरण से पूर्व लोक नीतियों के निर्माण पर तथा उसके क्रियान्वयन पर सरकार का ध्यान बहुत अधिक होता था, लेकिन आज सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक प्रतियोगी के रूप में खड़ी हो गई है, जिसके लिए वैश्विक प्रभाव में नीतियों का निर्माण आवश्यक हो गया है तथा लोक नीति का महत्व द्वितीयक विषयक बन गया है।
2. भारतीय प्रशासन को 'विकास प्रशासन' की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन विकास सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन में व्यापक रूप से सम्बद्ध है। वैश्वीकरण के आगमन से पूर्व भारतीय प्रशासन एक विकास प्रशासन के रूप में भारतीय सन्दर्भ में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा था तथा आज भी विकास प्रशासन के रूप में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है, परन्तु वर्तमान परिस्थिति, पूर्व की परिस्थितियों से परिवर्तित है। आज भारतीय प्रशासन का स्वरूप भारत में उपस्थित चुनौतियों का सामना तो कर ही रहा है तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाज और बाज़ार में उपस्थित समस्याओं का भी सामना कर रहा है। भारतीय प्रशासन विकास प्रशाासन के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखना चाहता है, परन्तु इसमें नियामकीय प्रशासन की विशेषताएँ भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत में विकास प्रशासन का स्वरूप समाजवादी अधिक तथा उदारवादी कम था, लेकिन वैश्वीकरण के प्रभाव में इसकी समाजवादी प्रकृति में क्षय हुआ है तथा उदारवादी प्रकृति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। स्पष्टतः भारत के विकास प्रशासन पर वैश्वीकरण का दोहरा प्रभाव पड़ा है।
3. वैश्वीकरण के प्रभाव में भारतीय लोक प्रशासन के अन्तर्गत तकनीक के प्रयोग

को बढ़ावा मिला है। चूँकि वैश्वीकरण की प्रकृति तकनीकी है, ऐसी स्थिति में भारतीय प्रशासन में तकनीक के प्रयोग का प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। वर्तमान समय में प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीक का महत्व बढ़ता जा रहा है, यह वैश्वीकृत प्रशासन की माँग भी है।

4. वैश्वीकरण ने भारतीय प्रशासन में प्रशासनिक प्रतिबद्धता को भी प्रभावित किया है। स्वतन्त्र भारत में प्रशासनिक प्रतिबद्धता जनता के प्रति थी, जिसे संविधान द्वारा न्यायिक निर्णय तथा अन्य प्रकार के कानून के द्वारा अभिनिर्धारित किया जाता था। 1991 ई० के बाद भारत में जब नवीन आर्थिक नीतियों को अमल में लाया गया, तब से प्रशासन की प्रतिबद्धता जन हित के साथ-साथ वैश्विक हित से भी सम्बद्ध हो गई है। आज भारतीय लोक सेवा से आशा की जाती है कि वह न केवल जन हित के प्रति उत्तरदायी रहे, बल्कि उसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत को सफल देश के रूप में स्थापित करने में भी सहयोग प्रदान किया जाए। भारतीय प्रशासन ने इसी प्रकार की मिश्रित प्रशासनिक प्रतिबद्धता को कायम करना शुरू कर दिया है। स्पष्टतः भारत में प्रशासनिक प्रतिबद्धता का स्वरूप दोहरे रूप में परिवर्तित तथा प्रभावित हुआ है।

5. वस्तुतः भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत स्वतः प्रशिक्षण की प्रक्रिया निहित होती है। प्रशासन में प्रशिक्षण के व्यापक महत्त्व को देखते हुए, भर्ती से अलग करके अध्ययन किया जाता है। वैश्वीकरण के प्रभाव में भारतीय शासन के अन्तर्गत भर्ती तथा प्रशिक्षण की प्रक्रिया व्यापक रूप में प्रभावित हुई है। आज तकनीक के प्रभाव में मानवीय संसाधन के महत्व में तुलनात्मक कमी आयी है। भारतीय प्रशासन के अन्तर्गत कम-से-कम भर्ती करने पर जोर दिया जा रहा है तथा पूर्व में भर्ती किए गए लोगों की छंटनी की जा रही है। कार्मिकों की संख्या को कम करने के लिए भारतीय प्रशासन में 'स्वैच्छिक अवकाश योजना' को लागू किया जा रहा है। जहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, तो वैश्वीकरण में इसकी प्रवृत्ति व्यापक रूप में परिवर्तित हुई है। वर्तमान समय में, भारतीय प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना सुविधाजनक हुआ है। इसे भी वैश्वीकरण के तकनीकी प्रभाव के रूप में लिया जा सकता है।

6. वैश्वीकरण के प्रभाव में भारतीय प्रशासन का लोक कल्याणकारी स्वरूप भले ही सिमटता जा रहा हो, लेकिन उसके तकनीति प्रभाव से जन-सहभागिता को बल मिला है तथा प्रशासनिक संचार में वृद्धि हुई है। वस्तुतः प्रशासनिक संचार और जन-सहभागिता को एक-दूसरे का पूरक बनाया जा सकता है, वैश्वीकरण में सूचना व संचार को बढ़ावा मिला है, जिससे जनता और प्रशासन एक-दूसरे

के समीप आयी है। अब प्रशासन के लिए यह सम्भव हो गया है कि वह जन-आवश्यकताओं एवं जन-प्रतिक्रियाओं को आसानी से समझ ले, तो दूसरी ओर जनता के लिए भी प्रशासन से सम्पर्क स्थापित करना तथा उसकी प्रशासनिक कार्य–प्रणालियों से अवगत होना आसान हो गया है। इसे वैश्वीकरण का भारतीय प्रशासन पर एक सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है।

7. भारतीय प्रशासन पर वैश्वीकरण का व्यापक प्रभााव पड़ा है, जिनके कई परिणामों में से एक परिणाम प्रशासनिक संचार व जन सहभागिता का विकास भी है। भारतीय प्रशासन संचार एवं जन सहभागिता जिस रूप में प्रभावी हुई है, उसी रूप में प्रशासनिक संस्कृति भी प्रभावित एवं परिवर्तित हुई है। आज निजी क्षेत्रों के प्रभाव में सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य संस्कृति का विकास हुआ है। सामान्यतः भारतीय प्रशासन की आलोचना औपनिवेशिक संस्कृति व लालफीताशाही को लेकर की जाती रही है, लेकिन आज यहाँ प्रशासनिक यथास्थितिवादी प्रवृत्तियों में कमी आई है। स्पष्टतः यहाँ यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण ने भारतीय प्रशासनिक संस्कृति को सकारात्मक रूप में प्रभावित किया है।

8. वैश्वीकरण की प्रकृति तकनीकी है, इसलिए प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में तकनीक के प्रयोग में वृद्धि हुई है तथा इसका महत्व पूर्व से अधिक बढ़ गया है।[7] सामान्यतः आज प्रशासन में विशेषीकरण को स्वीकार कर लिया गया है, हालाँकि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय प्रशासन में आज भी सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों में विवाद नहीं है। सामान्यज्ञ-विशेषज्ञ विवाद प्रशासन में जिस स्तर पर भी कायम हो, विशेषीकरण आज की आवश्यकता है और इसे भारतीय प्रशासन पर वैश्वीकरण के प्रभाव के रूप में लिया जा सकता है।

9. आर्थिक जीवन पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आज समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई, पूर्व से अधिक बढ़ गई है, जिससे मानवीय मूल्यों का क्षय हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय प्रशासन के समक्ष विषम सामाजिक-आर्थिक जीवन को लेकर विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ उपस्थित हो गई हैं।[8] आज प्रशासन के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह इस प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करे कि वैश्वीकरण से समाज कुप्रभावित नहीं हो तथा मानवीय-मूल्यों का क्षय रूक जाए। भारतीय प्रशासन वैश्वीकरण के सन्दर्भ में आर्थिक नीतियों को निर्धारित और क्रियान्वित कर रहा है।

10. यदि वैश्वीकरण के प्रभाव में भ्रष्टाचार को बल मिला है, तो दूसरी ओर

भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए स्वरूप ने प्रशासनिक सुधार को अनिवार्य बना दिया है। भारतीय प्रशासन में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ है, जिनके समाधान के लिए प्रशासनिक सुधार एक व्यापक, सकारात्मक तथा निरोधात्मक प्रक्रिया है। आज यह सर्वमान्य है कि वैश्वीकरण के कुप्रभाव से बचने के लिए प्रशासनिक सुधार को एक निरोधक साधन के रूप में अपनाया जा सकता है।

अतएव इस शोध-पत्र में विश्लेषित तथ्यों से स्पष्ट है कि वैश्वीकरण ने भारतीय प्रशासन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है एवं भारत में वैश्वीकरण का स्वरूप स्वयं भी भारतीय प्रशासन की संरचना एवं कार्यकरण से प्रभावित हुआ है।

संदर्भ सूची

1. कमलेश गोयल, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन द एज ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन ई० एण्ड सी० टेक्नोलॉजी,* भो०–3 (4) : अक्टूबर–दिसम्बर, 2016, पृ०–32.
2. मीनू, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन एण्ड लीबरेलाइज़ेशन ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एम० एण्ड एम० रिसर्च,* 2(9), 2013.
3. ई० सी० कामार्क, *गवर्नमेंट इनोवेशन एराउण्ड द वर्ल्ड,* जॉन०एफ० कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, हार्वर्ड युनिवर्सिटी, 2004, पृ०–34.
4. सी०के० कीम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एज ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन, *इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट रिव्यू,* भो०–9, 2004, पृ०–41–42.
5. के० सिंह, व्हाट इज़ रीस्ट्रेनींग द प्रॉसेस ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन; *इंडियन मैनेजमेंट स्टडीज़ जर्नल,* 13, 2009, पृ०–71–77.
6. एम० श्रीवास्तव; ग्लोबलाइज़ेशन एण्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, *एस०एस०आर०एन० डॉट० कॉम०,* 2009.
7. ए० नायक, के० चक्रवर्ती तथा पी० राजीव, ग्लोबलाइज़ेशन प्रॉसेस इन इंडियाः ए हिस्ट्री प्रोस्पेक्टिव सिंस इंडीपेंडेंस, *साउथ एशियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट,* 12, 2006.
8. बाई०भी० रेड्डी, अंडरस्टैंडींग इकॉनॉमिक रिफॉर्मस् फॉर इंडिया, *इंडियन इकॉनॉमिक रिव्यू,* 48, 2006, पृ०–33–38.